(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3081-दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-07-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 87/अपील/12-13

सूरसिंह पिता रामा मुणिया
निवासी कालीघाटी तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-मोहनसिंह पिता हेमराज
2-देवराम पिता शंभु गामड़
3-शंकरलाल पिता रामचन्द्र हटिला
4-बाबूलाल पिता भेरजी खराड़ी
5-प्रभु पिता जान गामड़
निवासीगण कालीघाटी तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-7-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला झाबुआ के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3046-97/भू-अभि/रा0न0का0/2011 दि.17-10-2011 से तहसील पेटलावद के ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्राम कालीघाटी के कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति के आधार पर नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 18/अ-56/11-12 पंजीबद्ध कर एक माह में उदघोषणा के प्रकाशन उपरांत विज्ञप्ति अवधि में तहसील पेटलावद के कालीघाटी के रिक्त कोटवार पद हेतु उभयपक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 2-4-2012 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 को कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2-11-2012 आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29-7-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सभा कालीघाटी के प्रस्ताव अनुसार सुरसिंह का चयन कोटवार पद हेतु किया गया है ग्राम सभा के प्रस्ताव में 3 महिलाएं का प्रस्ताव आवेदक के पक्ष में है तथा अन्य उम्मीदवारों के पद में नहीं है इसका विचार न करते हुये अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है तहसीलदार का आदेश अवैधानिक होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पारित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है इस पर विचार नहीं अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में भूल की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदक के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोटवार के पद पर आवेदक के पक्ष में तथ्यात्मक बातों का ध्यान रखे हुये युक्तिसंगत आदेश पारित किया था जिसे अपर आयुक्त निरस्त करने में भूल की गई है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं वैधानिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत ग्राम कालीघाटी के कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संस्थित कर उद्घोषणा जारी की गई तथा आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये । संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत नियम चार-1 के अनुसार तहसीलदार उम्मीदवारों के दावों को ध्यान में रखते हुये उपर्युक्त व्यक्ति को कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करता और इसके लिये संक्षेप में कारण अंकित करता है और जब तक इस अधिकारी का प्रयोग तर्क संगत तरीके से किया गया हो तब तक अपील या निगरानी में नियुक्तिकर्ता अधिकारी के चयन में फेरबदल नहीं करना चाहिये, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-7-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर